जज अदालत ____________ मुकाम ____________

____________ बनाम ____________

किस्म मुकदमा ____________ नं. ____________ वर्ष ____________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/2/18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 15/3/18 को वास्ते बहस पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
15/3/18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे ... पत्रावली दिनांक 12/4/18 को वास्ते बहस पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
12-4-18	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण में पुनः बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश 5-6-18 को कैम्प चांगोठी पर पेश हो	[signature]
5-6-2018	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प चांगोठी पर प्रस्तुत हुई प्रार्थना पत्र पत्रावली का वास्ते आदेश अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र है कि ग्राम चांगोठी मौजा प्रार्थी के अधिकार स्वामित्व की आराजी खाता 1078/245 रकबा 11 बीघा स्थित है विपक्षीगण नाजायज तौर पर प्रार्थी की 2 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया तथा रही है मना करने पर धमकियां दे रहे हैं कि अभी तो 2 बीघा पर ही कब्जा किया है अब 11 ही बीघा पर कब्जा करेंगे। जिसके सीमाज्ञान करने की मांग की है विपक्षीगणों के विरुद्ध 21-9-2018 को बावजूद नोटिस गैर हाजिर रहने से एकपक्षीय	[signature] उपखण्ड अधिकारी ... (stamp)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी हु...
	कार्यवाही के आदेश पारित किये है।	
	प्रकरण एकपक्षीय है। उक्त विवाद	
	मार्फत अर्जी की पूर्ती गई प्रकरण के पूर्व	
	212 RTA में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने वाला	
	आदेश की प्रति संलग्न नहीं है प्रार्थी खातेदार	
	काश्तकार है जमाबंदी संवत 2071 की फोटो प्रति संलग्न	
	है मूल वाद प्रकरण 183 RTA का न्यायालय	
	में विचाराधीन है मामले में एक निर्णय के प्रति	
	लेने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के विपक्षीगणों को	
	पाबन्द करना उचित समझते है	
	अत: प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस प्रकार स्वीकार	
	किया जाता है कि विपक्षीगण मूलवाद के	
	निस्तारण तक ग्राम [illegible] की अर्जी के [illegible]	
	की आराजी नम्बर 1078/245 रकबा 11 बीघा पर	
	कब्जा व प्रार्थी की काश्त में बाधा नहीं पहुंचायेंगे।	
	प्रार्थनापत्र नियम के तहत निस्तारित किया जाता है बाद	
	फैसल हो।	
	उपखण्ड अधिकारी [illegible] ([illegible])	
	[illegible]	